

Sr. No. **48460**

(A Government of India Enterprise)

S.No. DEH-0000324

Branch Office : Near Sabji Mandi, Niranjanpur, Saharanpur Road, Dehradun-248001

Ph : 0135-2520501

Fax : 0135-2520501

Email : bodehradun@nsic.co.in

Website : www.nsic.co.in

GOVERNMENT PURCHASE ENLISTMENT CERTIFICATE

Renewal Certificate (Valid From 18/06/2017 to 17/06/2019)

Ref.No NSIC/GP/DEH/2015/36905

Date: 12/10/2017

M/s. SOCIAL ENGINEERS PVT. LTD.

SOCIAL BHAWAN, 2ND FLOOR, ANEKANT PALACE,
29, RAJPUR ROAD,
DEHRADUN,
UTTARAKHAND- 248001

Factory Address:

1 .KHASRA NO. 1274, MI, CHHABRA INDUSTRIAL
AREA, LANGHA ROAD
DEHRADUN, UTTARAKHAND -248198

Name of the Directors

- 1.SH. ISH MOHAN NEGI
- 2.SH. DEVENDRA SINGH PANWAR
- 3.SMT. RAMESHWARI PANWAR
- 4.SH. KULDEEP SINGH PANWAR

Constitution of the firm- Private Limited

Enterprise Social Class: GENERAL

GOVERNMENT PURCHASE REGISTRATION NO: NSIC/GP/DEH/2015/0013344

Monetary Limit: ₹ 199 lakhs (₹ One Hundred Ninty Nine Lakh Only)

TURNOVER (Rupees in Lakhs)

Financial Year	Annual Turnover
2013-14	95.19
2014-15	260.3
2015-16	396.5
Monetary Limit	199

Your name has been registered as a SSI Unit eligible for participation in the **Central Government Store Purchase Programme** as per the **Single Point Registration Scheme** for the following Item(s)/Store (s)/Service(s).

Name of the Store(s)/ Service(s)	Specification(s)	Qualitative Capacity	Quantitative Capacity P.M.P.S.
----------------------------------	------------------	----------------------	--------------------------------

"As per List Attached" (5 item only)

Disclaimer:- The purchasing agencies are advised to satisfy themselves with the store details in the certificate while doing the Technical Evaluation stage before placing the tender/order on the units, certified by NSIC.

M/s. SOCIAL ENGINEERS PVT. LTD.


Authorized Signatory

"Authenticity of the certificate can be checked through the web portal: www.nsicsonline.com"

टिप्पणी

- एनएसआईसी की एकल बिन्दु पंजीकरण स्कीम के अंतर्गत पंजीकृत इकाइयों सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 26.03.2012 को जारी की गयी अधिसूचना, जो कि 01.04.2015 से अनिवार्य हो गई है "सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक उपापन नीति आदेश 2012" के अन्तर्गत अधिसूचित किए गए निम्न लाभ पाने की पात्र हैं।
क. निःशुल्क टेंडर।
ख. बयाना जमा राशि (ईएमडी) के मुग्तान से छूट।
ग. टेंडर में भाग लेने वाले सूक्ष्म व लघु उद्यमों को एल-1+15% के मूल्य बैंड में उद्दृत दर करने पर कुल टेंडर वैल्यू का 20% तक अपेक्षित भाग की सप्लाई करने की भी सुविधा दी गई है लेकिन उसे अपनी दरें एल-1 पर रही गैर-सूक्ष्म एवं लघु उद्यम इकाई की दर तक अपनी दर कम करने पर ही यह सुविधा मिलती है।
घ. प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को अपनी कुल वार्षिक खरीद हेतु न्यूनतम 20% खरीद सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा उत्पादित उत्पादों या प्रदान की जाने वाली सेवाओं से किया जाने का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करना होगा। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से 20% की खरीद की अपनी वार्षिक जरूरत में से 4% खरीद अनुसूचित जाति/जनजाति के स्वामित्व वाली इकाइयों से की जानी निर्धारित/ईयरमार्क की जाएगी। तारीख 26.03.2012 के पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी आदेश के अनुसार 01.04.2015 से प्रोक्योरमेंट का समय लक्ष्य अनिवार्य कर दिया गया है।
ड. उपरोक्त के अलावा, 358 वस्तुएं केवल एमएसई इकाइयों से ही खरीदी जाने के लिए भी आरक्षित की गई है।
- प्रोविजनल प्रमाण पत्र, जिसकी की वैधता प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख से केवल एक वर्ष की अवधि के लिए होगी, को छोड़कर यह प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख से दो वर्ष के लिए वैध है। पंजीकरण का नवीनीकरण दो वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा। आपेक्षित शुल्क के साथ प्रमाण पत्र का नवीनीकरण कराने के लिए आवेदन पत्र प्रमाण पत्र वांछित दस्तावेज सहित प्रमाण पत्र की समाप्ति के तारीख से छः माह पूर्व जमा किया जाए।
- स्टोर्स (गुणात्मक तथा परिमाणत्मक)/आर्थिक सीमा/अथवा प्रमाण पत्र में किसी प्रकार का संशोधन कराने, और/अथवा पंजीकरण के नवीनीकरण के जारी किए जाने को एक अलग आवेदन पत्र के रूप में समझा जाएगा और तदनुसार अलग से सेलागू शुल्क देय होंगे।
- एनएसआईसी को यह पूरा और नितांत विवेकाधिकार होगा कि एनएसआईसी अथवा किसी दूसरे सरकारी विभाग की किन्हीं देय राशियों के मुग्तान न करने की स्थिति में, तथा किसी सरकारी विभाग आदि से कोई प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त होने पर, सरकारी आपूर्ति कांट्रैक्ट की शर्तों को न मानने, सामान की आपूर्ति करने में असफल रहने या घटिया सामान अथवा सेवाएं देने, आदेश को पूरा करने में जानबूझकर विलंब करने या मना करने, सरकारी खरीद प्रमाण पत्र में किसी प्रकार का हेर-फेर करने, जाली हस्ताक्षर, धोखाधड़ी, आवेदन पत्र में कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपाने/गलत बयानी करने या फिर सरकारी खरीद प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई सूचना छिपाने/गलत बयान करने और किसी दूसरे कारण आदि के लिए इस सूचीयन प्रमाण पत्र को रद्द कर दें।

प्रतिलिपि

- निदेशक, एमएसएमई विकास संस्थान...../महाप्रबंधक, राइट्स लिमिटेड./सीडीसी.....को उनके तारीख.....के पत्र सं.....के संदर्भ में।
- महाप्रबंधक (सरकारी खरीद), एनएसआईसी लिमिटेड, मुख्य कार्यालय नई दिल्ली-कृपया सूचनाएं

फर्म के गठन का कोड

पब्लिक लिमिटेड कंपनी	1	प्राइवेट लि. कंपनी	2
साझेदारी प्रतिष्ठान	3	स्वामित्व कंपनी	4
औद्योगिक सहकारी सोसायटी	5	हिन्दु अविभाजित परिवार (एच यू एफ)	6

कैटेगिरी कोड

अनुसूचित जाति	1
अनसूचित जनजाति	2

NOTES:-

- The units registered under Single Point Registration Scheme of NSIC are eligible to get the following benefits under "Public Procurement Policy for Micro & Small Enterprises Order 2012" as notified by the Government of India Ministry of Micro Small & Medium Enterprises, , New Delhi vide Gazette Notification dated 26.03.2012, which has become mandatory w.e.f. 01.04.2015:-
a) Issue of the Tender Sets free of cost;
b) Exemption from payment of Earnest Money Deposit (EMD),
c) In tender, participating Micro & Small Enterprises quoting price within price band of L1+15 percent shall also be allowed to supply a portion of requirement by bringing down their price to L1 Price in a situation where L1 price is from someone other than a Micro and Small Enterprise and such Micro and Small Enterprise shall be allowed to supply upto 20 percent of the total tendered value.
d) Every Central Ministries/Departments/PSUs shall set an annual goal of minimum 20 percent of the total annual purchases of the products or services produced or rendered by MSEs. Out of annual requirement of 20% procurement from MSEs, 4% is earmarked for units owned by Schedule Caste /Schedule Tribes (as per PPP Order dated 26.03.2012 overall procurement goal mandatory w.e.f. 01/04/2015).
e) In addition of the above, 358 items are also reserved for exclusive purchase from MSEs.
- The certificate shall be valid for two years from the date of issuance except in case of provisional certificate validity of which shall be for the period of one year only from the date of issuance. Renewal of registration shall be granted for a period of 2 years. The application for renewal of the certificate along with the requisite fee has to be submitted before six months of the expiry date.
- Applications for issuance of amendments in stores (Qualitative & Quantity) / monetary limit / any other amendment in the certificate, and/or for issuance of renewal of registration (every two years) will be treated as separate applications and accordingly separate fee(s), as applicable, will be charged.
- NSIC has the sole and absolute discretion to cancel this Enlistment Certificate on receipt of adverse report from any Government Departments regarding non-compliance of terms of contract awarded, tampering with GP Certificate, forging of signatures, cheating, suppression/misrepresentation of material facts in the application of any document submitted for obtaining the GP Enlistment Certificate or in the event of any amount unpaid to NSIC or any other Government Department or any other reasons etc.

Copy to:-

- The Director, MSME Dev. Institute/G.M., RITES Ltd./CDC Haldwani With reference to their letter No. S/22016/NSIC/C43/2014/1089 dated 21-08-17
- General Manager (GP) NSIC Ltd., Head Office, New Delhi – for information.

CONSTITUTION CODES OF UNIT

Public Ltd. Co.	1	Pvt. Ltd. Co.	2
Partnership Concern	3	Prop. Concern	4
Ind. Co-op Society	5	HUF	6

CATEGORY CODES

Scheduled Caste	1
Scheduled Tribe	2